

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी-VI/ 83

आर बी ई सं. 41/2009

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/एचआरए-14

नई दिल्ली, दिनांक: 25.02.2009

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, इत्यादि
(डाक सूची I और II के अनुसार)

विषय: पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य एवं संघ क्षेत्र में कार्यरत रेल कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता (एचआरए)के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के 30.06.1984 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/83/एचआरए-29, 05.01.1999 के पत्र सं. पीसी-V/98/I/7/5 तथा 17.11.1999 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-99/एचआरए-15 की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात रेल कर्मचारी जिन्होंने अपने परिवार को पुराने ड्यूटी के स्थान पर छोड़ दिया है, को तैनाती के नए स्थान पर स्वीकार्य एचआरए के अतिरिक्त मूल रूप से स्थानांतरित वाले स्थान के एचआरए की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. बोर्ड के 12.09.2008 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-2008/एचआरए-10 के तहत अधिसूचित 01.09.2008 से मकान किराया भत्ता की दर के संशोधन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित विनिश्चय किया गया है:

(क) 01.01.2006 से पहले स्थानांतरित एवं तैनात किए गए रेल कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने अपना परिवार पुराने ड्यूटी के स्थान पर छोड़ दिया है, को पुराने ड्यूटी स्थान का एचआरए स्थानांतरण की तारीख के संशोधन पूर्व वेतन पर 01.09.2008 से परिकलित किया जाएगा लेकिन 12.09.2008 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-2008/एचआरए-10 के अनुसार 01.09.2008 से प्रभावी एचआरए की प्रतिशत दरें 01.09.2008 से लागू होंगी।

(ख) 01.01.2006 को या बाद में स्थानांतरित एवं तैनात किए गए रेल कर्मचारियों के मामले में 01.09.2008 से पुराने ड्यूटी स्थान का एचआरए 12.09.2008 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-2008/एचआरए-10 के अनुसार 01.09.2008 से प्रभावी प्रतिशत दर के साथ स्थानांतरण की तारीख से संशोधित वेतन पर परिकलित किया जाएगा।

3. सभी मामलों में, परिशोधित दरें और परिशोधित वेतन पर उपर्युक्त एचआरए, यथा प्रयोज्य, 01.09.2008 से देय होगा।

4. ये आदेश 01.09.2008 को या बाद में लद्दाख में तैनात किए गए रेल कर्मचारियों पर लागू होंगे।

5. ये आदेश 01.09.2008 के पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप से बाहर स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों पर उनकी क्षेत्र/द्वीप में तैनाती की तारीख पर ध्यान दिए बिना लागू नहीं होंगे।

.... 2/-

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

श्री. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक/ई(पी एंड ए)III
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/एचआरए-14

नई दिल्ली, दिनांक: 25.02.2009

प्रतिलिपि: भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।

पुस्तकालय
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/एचआरए-14

नई दिल्ली, दिनांक: 25.02.2009

प्रतिलिपि प्रेषित:

- (i) विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि।
- (ii) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।
- (iii) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 001 उनके 26.12.2008 के का.जा. सं. 2(19)/-ई.II(बी)/2008 के संदर्भ में।

श्री. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक/ई(पी एंड ए)III
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/एचआरए-14

नई दिल्ली, दिनांक: 25.02.2009

1. महासचिव, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महासचिव, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों)।
4. महासचिव, फ्रोआ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. महासचिव, इरपोफ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. सचिव, भारतीय रेल क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
8. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड समूह 'घ' इंग्लैंडर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
12. महासचिव, अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.आ. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.

श्री. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

S.No.PC-VII/83

RBE No. 41/2009.

No.E(P&A)II-2008/HRA-14

New Delhi, dated 25-2-2009.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Prod.Units etc,
(as per mailing lists No.I & II).

**Subject : House Rent Allowance (HRA) to Railway employees serving in the
State and Union Territories of North Eastern Region - Regarding.**

Attention is invited to Board's letters No. E(P&A)II/83/HRA-29 dated 30-6-84, No.PC-V/98/II/7/5 dated 5-1-1999 and No. E(P&A)II-99/HRA-15 dated 17.11.1999 on the above subject. Railway employees posted to North Eastern Region, including Sikkim, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep Island, who leave their families behind at the old duty station, are allowed HRA of the station from which they were originally transferred in addition to the HRA admissible at the new place of posting.

2. Consequent upon revision of rates of House Rent Allowance w.e.f. 1.9.2008, notified vide Board's letter No.E(P&A)II-2008/HRA-10 dated 12.9.2008, the following has been decided :

(a) In case of Railway employees transferred to and posted from a date prior to 1.1.2006 who leave their families behind at the old duty station, the HRA of the old duty station will be calculated w.e.f. 01.09.2008 on the pre revised pay as on date of transfer but the percentage rates of HRA effective from 01.09.2008 as per letter No.E(P&A)II-2008/HRA-10 dated 12.9.2008, will apply w.e.f. 01.09.2008.

(b) In case of Railway employees transferred to and posted from a date on or after 01.01.2006, the HRA of the old duty station w.e.f. 01.09.2008 will be calculated on the revised pay as on date of transfer with the percentage rates effective from 01.09.2008 as per letter No.E(P&A)II-2008/HRA-10 dated 12.9.2008.

3. The above HRA at revised rates and on revised pay, as applicable, would be payable from 01.09.2008 in all cases.

4. These orders will be applicable to Railway employees posted to Ladakh on or after 1.9.2008.

5. These orders will not be applicable to such employees who were transferred out of North Eastern Region, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep Islands before 01.09.2008, irrespective of their date of posting to the Region/Island.

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

md. Salim Ahmed.
(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director/E(P&A)III,
Railway Board.

....2/-